प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 12 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र श्री मगधू, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र श्री मगधू, जो ग्राम-कजरी नन्दापुर, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा किसमती देवी की लड़की को दी गई चिटठी को लेकर हुये विवाद में दिनांक 11.02.2005 को कट्टा से गोली मारकर किसमती देवी नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 05/2006, 60/2005 में भा०द०वि० की धारा-302, 3(2) (5) एस०सी०/एस०टी० एवं 3/25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 17.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.05.2022 तक 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष, 05 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06.04.2022 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक-03.05.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 13 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र मगधू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी थी, उक्त प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के पत्र संख्या-1419/22-2-2023-17(1130)/2019, दिनांक 10.07.2023 द्वारा प्रेषित किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-15/21/2025-न्यायिक अनुभाग-II, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (न्यायिक स्कंध/जे-II अनुभाग), दिनांक-07.11.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भा०द०सं० की धारा-302 और एस०सी०/एस०टी० अधिनियम, 1989 की धारा-3(2)(5) से आच्छादित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर विचार किया गया।

''सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी अभिलिखित तथ्यों और उसके संबंध में संगत दस्तावेजों, यथा, सिद्धदोष बंदियों के समयपूर्व मुक्ति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर, जेल

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, पुलिस अधिक्षक, अम्बेडकर नगर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर एवं जेल-चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी की आख्या, माननीय न्यायधीश, एस.सी/एस.टी न्यायालय, अम्बेडकर नगर के निर्णय दिनांक 17.05.2007 और केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, विचार करने के उपरान्त, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषसिद्ध कैदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र श्री मगधू की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।''

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान (बन्दी संख्या-495/2007) पुत्र श्री मगधू, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर के फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उक्त फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1528/2025/जी0आई0-54(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउंड फ्लोर, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-15/21/2025-न्यायिक अनुभाग-II, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (न्यायिक स्कंध/जे-II अनुभाग), दिनांक-07.11.2025 के सम्बन्ध में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1528/2025/ जी0आई0-54/22-2-2025-17(1130)/2019

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र श्री मगधू, जो ग्राम-कजरी नन्दापुर, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा किसमती देवी की लड़की को दी गई चिटठी को लेकर हुये विवाद में दिनांक 11.02.2005 को कट्टा से गोली मारकर किसमती देवी नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-05/2006, 60/2005 में भा०द०वि० की धारा-302, 3(2) (5) एस०सी०/एस०टी० एवं 3/25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर के आदेश दिनांक 17.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.05.2022 तक 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष, 05 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06.04.2022 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक-03.05.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 13 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र मगधू को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी थी, उक्त प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के पत्र संख्या-1419/22-2-2023-17(1130)/2019, दिनांक 10.07.2023 द्वारा प्रेषित किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-15/21/2025-न्यायिक अनुभाग-II, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (न्यायिक स्कंध/जे-II अनुभाग), दिनांक-07.11.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भा०द०सं० की धारा-302 और एस०सी०/एस०टी० अधिनियम, 1989 की धारा-3(2)(5) से आच्छादित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर विचार किया गया। ''सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी अभिलिखित तथ्यों और उसके संबंध में संगत दस्तावेजों, यथा, सिद्धदोष बंदियों के समयपूर्व मुक्ति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति, जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर, जेल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, पुलिस अधिक्षक, अम्बेडकर नगर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर एवं जेल-चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी की आख्या, माननीय न्यायधीश, एस.सी/एस.टी न्यायालय, अम्बेडकर नगर के निर्णय दिनांक 17.05.2007 और केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, विचार करने के उपरान्त, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषसिद्ध कैदी रविन्द्र उर्फ करिया चौहान पुत्र श्री मगधू की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।''

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in